

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर
विविध प्रार्थना पत्र संख्या – 32/2018/अलवर
(निगरानी संख्या 764/2013/अलवर निर्णय दिनांक 31.07.2018)

स्वर्गीय श्री राम निवास पुत्र श्री बट्टी प्रसाद,
निवासी-खैरथल मण्डी तहसील किशनगढ बास
जिला अलवर द्वारा कायम मुकाम मुकेश कुमार,
राजेन्द्र प्रसाद, सुनीता, सत्यनारायण, मन्जू,
शकुन्तला देवी

.....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर मुद्रांक वृत्त अलवर
2. उप पंजीयक किशनगढबास जिला अलवर
3. नारायण दास पुत्र प्यारे लाल जी महाजन (खण्डेलवाल)
निवासी जगताबसई तहसील किशनगढबास
4. मनोहर लाल पुत्र प्यारे लाल लाल जी महाजन (खण्डेलवाल)
निवासी जगताबसई तहसील किशनगढबास
5. सन्तराम पुत्र प्यारे लाल जी महाजन (खण्डेलवाल)
निवासी जगताबसई तहसील किशनगढबास
6. गोरी शंकर पुत्र प्यारे लाल जी महाजन (खण्डेलवाल)
निवासी जगताबसई तहसील किशनगढबास

.....अप्रार्थीगण

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित :

श्री रोहित सोनी,
अभिभाषक
श्री अनिल पोखरणा,
उप राजकीय अभिभाषक

.....प्रार्थी की ओर से

.....अप्रार्थीगण सं. 1 से 6 की ओर से

निर्णय दिनांक : 30.11.2018

निर्णय

1. यह विविध प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा निगरानी सं. 764/2013/अलवर स्वर्गीय श्री राम निवास पुत्र श्री बट्टी प्रसाद बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 31.07.2018 के बिन्दु संख्या 13 जो निम्न प्रकार है :-


"(i) यदि प्रार्थी इस निर्णय की तिथि से 3 माह की अवधि में अपने विक्रय पत्र में संशोधन या संशोधित विक्रय पत्र के माध्यम से राजकीय/नगरपालिका/कृषि उपजमण्डी की भूमि विक्रय पत्र में से हटवाता है तो अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते हैं कि वे ऐसी भूमि को मूल्यांकन में शामिल नहीं करते हुए दस्तावेज का मूल्यांकन पुनः करें।

(ii) यदि प्रार्थी द्वारा तीन माह में उपरोक्त कार्यवाही नहीं की जाती है तो अधीनस्थ न्यायालय का निगरानीधीन आदेश दिनांक 30.01.2013 यथावत रहेगा।

(iii) प्रतिलिपि कलक्टर मुद्रांक अलवर एवं आयुक्त नगरपालिका मण्डल, खैरथल जिला अलवर को निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि भेजकर उपरोक्त पैरा संख्या 12 में उल्लेख प्रावधान के संदर्भ में ध्यान में लाया जाता है।"

के बिन्दु संख्या 13(i),(ii) में अवधि बढ़ाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी का कथन है कि उन्हें यह निर्णय 28.08.018 को प्राप्त हुआ है तथा निर्णय प्राप्त होने के पश्चात दिनांक 20.09.2018 से 05.10.2018 तक कर्मचारियों की हड़ताल तथा दिनांक 06.10.2018 से आचार संहिता लागू हो जाने के कारण आदेश की पालना में विलम्ब हुआ है तथा इस हेतु निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अवधि बढ़ाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थीगण द्वारा इस संबंध में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये गये हैं। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं प्रकरण जो 1992 से लंबित है, के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय के अनुसार निर्णय दिनांक 31.07.2018 में निर्धारित पालना की अवधि बढ़ाया जाना न्यायोचित है। अतः निर्णय दिनांक 31.07.2018 में दिये गये निर्देशों की पालना की अवधि 28.02.2019 तक बढ़ाई जाती है।

2. निर्णय सुनाया गया।


(नत्थूराम)
सदस्य